



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20082024-256493
CG-DL-E-20082024-256493

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3187]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 20, 2024/श्रावण 29, 1946

No. 3187]

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 20, 2024/SHRAVANA 29, 1946

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 अगस्त, 2024

सं. 23/2024-25

विषय: डी-ऑयलड राइस ब्रान की निर्यात नीति में संशोधन के संबंध में।

का.आ. 3503(अ.)—समय-समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति 2023, के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा दिनांक 15 मार्च, 2024, की पूर्व अधिसूचना सं. 76/2023 के संशोधन में अनुसूची-II (निर्यात नीति) के अध्याय 23 के तहत निर्यात नीति गत शर्त में निम्नलिखित परिवर्तन करती है:

आईटीसी (एचएस) कोड एवं विवरण	निर्यात नीति	संशोधित नीतिगत शर्त
2302—ब्रान, शार्प और अन्य अवशिष्ट, चाहे टिकिया के रूप में हो अथवा नहीं, अनाज अथवा फलीदार पौधों के स्थानांतरण, पीसने अथवा अन्य कार्य से प्राप्त		
23024000 अन्य अनाज के	मुक्त	डी-ऑयलड राइस ब्रान का निर्यात 31 जनवरी, 2025 तक 'निषिद्ध' है।
2306 खली और अन्य ठोस अवशिष्ट चाहे पीसी हुई हो अथवा टिकिया के रूप में हो, वनस्पति अथवा माइक्रोबियल वसा अथवा तेलों के निष्कर्षण से प्राप्त,		

आईटीसी (एचएस) कोड एवं विवरण	निर्यात नीति	संशोधित नीतिगत शर्त
शीर्षक 2304 अथवा 2305 की वस्तुओं के अलावा		
23069019 अन्य खली और खली खाद्य, निष्कासन किस्म: अन्य बीजों के	मुक्त	डी-ऑयल्ड राइस ब्रान का निर्यात 31 जनवरी, 2025 तक 'निषिद्ध' है।
23069029 अन्य खली और खली खाद्य, विलायक द्रव से निकाली हुई (वसा रहित) किस्म: अन्य बीजों के	मुक्त	डी-ऑयल्ड राइसब्रान का निर्यात 31 जनवरी, 2025 तक 'निषिद्ध' है।
23069090 अन्य-अन्य	मुक्त	डी-ऑयल्ड राइस ब्रान का निर्यात 31 जनवरी, 2025 तक 'निषिद्ध' है।

अधिसूचना का प्रभाव:—डी-आयल्डराइसब्रान का निर्यात 31 जनवरी, 2025 तक 'निषिद्ध' है।

[फा. सं. एम-01/91/191/030/एएम-21/ईसी/ई-36363]

संतोष कुमार सारंगी, महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th August, 2024

No. 23/2024-25

Subject: Amendment in Export Policy of De-Oiled Rice Bran -reg

S.O. 3503 (E).—In exercise of powers conferred by Section 3 read with section 5 of the Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992, read with Para 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy 2023, as amended from time to time, the Central Government hereby, in amendment of the earlier Notification No. 76/2023 dt. 15th March 2024, makes the following changes in Export Policy conditions under Chapter 23 of Schedule-II (Export Policy):

ITC(HS) code & Description	Export Policy	Revised Policy Condition
2302 - Bran, Sharps and Other Residues, Whether or not in the form of Pellets, derived from the Sifting, Milling or Other Working of Cereals or of Leguminous Plants		
23024000 - Of other Cereals	Free	Export of De-oiled Rice Bran is 'Prohibited' till 31 st January 2025.
2306 -Oil-Cake and other Solid Residues, Whether or not Ground or in the form of Pellets, resulting from the Extraction of Vegetable or Microbial Fats or Oils, Other than those of Heading 2304 or 2305		
23069019 - Other ---Oil-cake and oil-cake meal, expeller variety: ---- Of other seeds	Free	Export of De-oiled Rice Bran is 'Prohibited' till 31 st January 2025.
23069029 - Other --- Oil-cake and oil-cake meal, solvent extracted (defatted) variety: ---- Of other seeds	Free	Export of De-oiled Rice Bran is 'Prohibited' till 31 st January 2025.
23069090 - Other --- Other	Free	Export of De-oiled Rice Bran is 'Prohibited' till 31 st January 2025.

Effect of the Notification: Export of De-Oiled Rice Bran is 'Prohibited' up to 31st January 2025.

[F. No. 01/91/191/030/AM21/EC/E-36363]

SANTOSH KUMAR SARANGI, Director General of Foreign Trade Ex-Officio Addl. Secy.